

Jharkhand Government  
Health Medical Education and Family Welfare Department.

**Notification**

Letter No: 22/निर्देश/औषधि/Testing - 18-02/16-297(D) Ranchi/ Dated... 15/03/2024

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act 1940 read with sub-rule 1 of Rule 18 of the Medical Devices Rules 2017, in the light of the consent received from the National Institute of Biologicals, Noida, Uttar Pradesh vide letter No 1/Dir.Off/2023/NIB/1491 dated 22.12.2023. The following officers specified in Column "2" of table given below are appointed as Medical Device Testing officers for the entire State of Jharkhand with effect from the date of issue of this notification for the testing and analysis of medical devices as specified in Column "3" of the Table against their names.

Sr No	Name and designation of officer	Medical Devices
1	2	3
1	Dr. Rajesh Kumar Sharma	In vitro diagnostic Kits for HIV, HBsAg, HCV
2	Ms Kanchan Ahuja	Blood Grouping Reagent
3	Ms Ajanta Sircar	Glucose test strips and fully automated analyzer-based glucose reagents.

2. Therefore, in the light of Gazette of India No. 3571, dated 08.08.2022, the National Institute of Biologicals, Noida, Uttar Pradesh is hereby declared as statutory laboratory to the purpose of testing and analysis of Medical Devices for the entire state of Jharkhand under rule 19 sub-rule (4) of the Medical Device Rules, 2017.

Order- It is hereby ordered that this notification be published in the next special issue of Jharkhand Gazette.

By the order of Governor of Jharkhand

(Ajoy Kumar Singh)  
Principal Secretary

Memo No: 297 (D)

Ranchi/ Dated... 15/03/2024

Copy to - Drug Controller General (India)/ Director, National Institute of Biologicals, Uttar Pradesh /Notified Government analyst, National Institute of Biologicals, Uttar Pradesh for information and necessary action.

(Ajoy Kumar Singh)  
Principal Secretary

Memo No: 297 (D)

Ranchi/ Dated... 15/03/2024

Copy to - P.S Honorable Minister (Health) / all the officials of the Dept. / Section Officer-16 Dept. of Health, Medical & Family Welfare, Jharkhand, for information & necessary and action.

Copy to - All Divisional Commissioners Dy. Commissioners, Superintendents of Police, Jharkhand for information.

Copy to - Director (Drugs) / All Joint Directors (Drugs)/ Dy. Directors (Drugs)/ Asst. Director (Drugs)/ Drugs Inspectors, Jharkhand for information and necessary action.

(Ajoy Kumar Singh)  
Principal Secretary

Memo No: 297 (D)

Ranchi/ Dated... 15/03/2024

Copy to - Under Secretary (E-Gazette Branch) Finance Dept Jharkhand, Ranchi for information & publication in the next edition of Jharkhand Gazette.

(Ajoy Kumar Singh)  
Principal Secretary

झारखंड सरकार  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं० : 22/निदे०/औषधि/Testing-18-02/2016- 297 (D)

स्वा०/रॉची दिनांक : 15/03/2024

चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 18 उप-नियम (1) के साथ पठित औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940(1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक I/Dir.Off/2023/NIB/1491 दिनांक 22.12.2023 से प्राप्त सहमति के आलोक में नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ "2" में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने सारणी के स्तम्भ "3" में यथा-विनिर्दिष्ट चिकित्सा युक्ति के जॉच एवं विश्लेषण हेतु संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए इस अधिसूचना के निर्गमण की तिथि से "चिकित्सा युक्ति परीक्षण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	चिकित्सा युक्ति
1	2	3
1	डॉ. राजेश कुमार शर्मा	एचआईवी, एचबीएसएजी और एचसीवी के लिए इन-विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स
2	सुश्री कंचन आहूजा	रक्त समूह रिपोर्ट
3	सुश्री अजंता सरकार	ग्लूकोज परीक्षण प्रणाली और पूर्णतः ऑटोमेटेड विश्लेषक आधारित ग्लूकोज रिपोर्ट

2. एतद् द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 3571, दिनांक 08.08.2022 के आलोक में संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए चिकित्सा युक्ति के जॉच एवं विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 19 उप-नियम (4) के अंतर्गत "चिकित्सा युक्ति परीक्षण प्रयोगशाला" घोषित किया जाता है।  
आदेश :- एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड गजट के अगले विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

  
(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 297 (D) रॉची/दिनांक : 15/03/2024

प्रतिलिपि : औषधि महानियंत्रक भारत सरकार/निदेशक, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, उत्तर प्रदेश/संबंधित अधिसूचित सरकारी विश्लेषक, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 297 (D) रॉची/दिनांक : 15/03/2024

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-16, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक(औषधि)/सभी संयुक्त निदेशक(औषधि)/सभी उप निदेशक(औषधि)/सभी सहायक निदेशक (औषधि)/सभी औषधि निरीक्षक, राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 297 (D) रॉची/दिनांक : 15/03/2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, (ई-गजट शाखा) वित्त विभाग, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं झारखंड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ मूल में प्रेषित।

  
(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव